विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(90)RSSB/अर्थना/CET/2022/ 875 दिनांक : 21.09.2022

विज्ञापनसं. 09/2022

समान पात्रता परीक्षा(Common Eligibilty Test) (स्नातक स्तर)–2022

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम–2022 के अन्तर्गतनिम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र मे ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर
2.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा	1. जिलेदार 2. पटवारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	तहसील राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा	उप–जेलर
8.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II

समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशः–

1. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेन्सी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जावेगी।
2. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
3. बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये है, प्रकाशित किया जायेगा।
4. समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगें। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
5. समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते है जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा।

   परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा(स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल